राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 09(05)(12–II) सासुपे. नियम/सान्याअवि/2014–15/ 7478-7598 जयपुर दिनांक : 24/7/2019

संशोधित आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 09 (05) (14) पेंशन पोर्टल/सान्याअवि/2015–16/13592– 14115 दिनांक 23.10.2015 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:–

सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन के दौरान ई–मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र या अन्य केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, पर जाने पर किन्हीं कारणों से पेंशनर की अंगुली की छाप (फिगंरप्रिण्ट इम्प्रेशन) से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाती है तो ऐसे मामलो में कियोस्क–धारक यह प्रमाणित करेगा कि पेंशनर की कई बार अंगुली की छाप लेने के उपरान्त भी (सत्यापन की कार्यवाही करने के बाद भी) रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, तो वह पेंशनर की वेब कैमरा से फोटो लेने के बाद अप्रमाणित डाटा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) को भिजवायेगा। ऐसे मामलो में पेंशनर के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर, पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशनर की अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर डाटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात् प्रमाणीकरण (वार्षिक सत्यापन) की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा और डाटा में भी चिन्हित किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था के साथ–साथ अब सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को उनके आधार पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाईल पर वन–टाईम–पासवर्ड (OTP) के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन करवाये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही ऐसे पेंशनर जो अत्यधिक वृद्धावस्था अथवा शारीरिक अस्वस्थता (Physical incapicity) के कारण वार्षिक सत्यापन हेतु ई–मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र या अन्य केन्द्र, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, पर जाने में असमर्थ हो, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि उनका वार्षिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification Officer) के द्वारा करवाया जायेगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

D:\stuti goswami\pension order.docx

Scanned by CamScanner

क्रमांक – एफ. 09(05)(12–II) सासुपे. नियम/सान्याअवि/2014–15/7478-7598 जयपुर दिनांक 24/7/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सुविधा RAJSSP पोर्टल पर उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कम्प्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

D:\stuti goswami\pension order.docx

Scanned by CamScanner